न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-14/2014

CIS-1928/2014

Date		Remarks
23.07.2022	उभय पक्ष कि ओर से वकालतन हाजिरी दी गयी है। उभय पक्ष को प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16-06-2022 पर सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख उपस्थापित किया गया। वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादी साक्षी संख्या 03 जोगिन्दर मंडल का आंशिक प्रतिपरीक्षण दिनांक 13-04-2022 को किया गया तथा वास्ते शेष प्रतिपरीक्षण अग्रिम तिथि का अनुरोध प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा किया गया,एवं न्यायालय द्वारा शेष प्रतिपरीक्षण कि अनुमति दिया गया। लेकिन गलती वो भूल से साक्षी संख्या 03 जोगिन्दर मंडल को साक्ष्य से मुक्त कर दिया गया। अतः न्यायहित में दिनांक 13-04-2022 के आदेश को रिकॉल करने तथा वादी साक्षी संख्या 03 का शेष प्रतिपरीक्षण का आदेश देने कि प्रार्थना करते है। वादी द्वारा प्रतिवादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया तथा आवेदन पर NO OBJECTION लिखा गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी साक्षी संख्या 03 जोगिन्दर मंडल का आंशिक प्रतिपरीक्षण दिनांक 13-04-2022 को किया गया। जोगिन्दर मंडल वाद में स्वयं वादी है। इनका प्रतिपरीक्षण वाद के निर्णय में महत्वपूर्ण है। अतः न्यायहित में दिनांक 13-04-2022 के आदेश को रिकॉल करते हुए मो०-300/- के खर्चा पर प्रतिवादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है और वादी साक्षी संख्या 03 जोगिन्दर मंडल के शेष प्रतिपरीक्षण का आदेश दिया जाता है। खर्चा कि राशि वादी को देय है। दिनांक 11-08-2022 वास्ते शेष प्रतिपरीक्षण वादी साक्षी संख्या 03 जोगिन्दर मंडल का। **लेखापित** **मुंसिफ प्रथम**	